

भरतपुर

11/8/23

वकील अपील-ट उप। वकील रसो-
धारा बाज दायरी प्राथमिक पत्र पर
नो ऑब्जेक्शन किया हुआ है मूल
अपील दिनांक 19/6/23 को वकील अपील-ट
की अनुपस्थिति में खारिज कर दी
गई थी। हमारी विनम्र राय में वकील
की लापरवाही मात्र से किसी पक्षका
को उसके एक-दूसरों के सेवक में
उसको गुणावगुण के आधार पर न
सुना जाना -याचिका नही रहता है।
प्रकरण के मूल गुण को अनदेखा कर
देना हमारे ख्याल से -याचिका नही है।
इसी -याचिका मंशा के मध्यमज।



यह प्रथम पत्र वाजदायरी तक जवकि
वकील रस्यो को कोठी गुरेज नहे ह
स्वीकार किया जाता ध मूल अपील
को नम्बर पर लिया जाये यह
पञ्जावली फेसल शुमा हेमल वाद
प्रति शाकिल मूल अपील रहे

आशा तुम्हें गई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर